(i) सहरसा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य एवं (ii) दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य के पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन हेतु निगम निविदा समिति की दिनांक: 11.04.2019 को आहूत बैठक की कार्यवाही:-

---

उपस्थिति:-

1. **श्री अमित कुमार,** प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — अध्यक्ष
2. **श्री योगेन्द्र सिंह,** अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना। — सदस्य
3. **श्री सतीश कु0 सिंह,** अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना। — सदस्य
4. **श्री राकेश कुमार,** मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — सदस्य
5. **श्री तपेश्वर प्र0 साह,** महाप्रबंधक (वित्त), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — सदस्य
6. **श्री रंजित प्र0 सिंह,** महाप्रबंधक (उत्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना। — सदस्य

7. कार्यवाही:-

भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार कुर्सी क्षेत्रफल पर आधारित ₹819.00 लाख मात्र का मॉडल तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के आधार पर प्रशासी विभाग के पत्रांक-306, दिनांक: 29.09.2016 के द्वारा सहरसा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य एवं पत्रांक-463, दिनांक: 08.12.2016 के द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य हेतु अलग-अलग ₹819.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें आधुनिक सुविधाओं यथा-stage Lighting, Wall Panneling & Proofing, Sound reinforcement, Video Projection System, Boundary wall & Campus development इत्यादि कार्यो का समावेश नहीं था, जिसे शामिल करते पुनरीक्षित विस्तृत प्राक्कलन का गठन कर निगम के पत्रांक-933 (अनु0), दिनांक: 27.03.2018 के द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग को भेजा गया था, जिसके आलोक में प्रशासी विभाग के द्वारा दोनों योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका सार विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0		सहरसा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य		दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य	
1	मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	₹819.00 लाख		₹819.00 लाख	
2	मूल तकनीकी स्वीकृति की राशि	₹830.11 लाख		₹828.09 लाख	
3	अनुसूचित मदों का परिमाण विपत्र की राशि	₹3,75,65,593.00		₹3,73,76,315.00	
4	एकरारनामा की राशि (अनुसूचित मद एवं गैर अनुसूचित मद)	₹7,72,67,388.00		₹7,71,16,139.00	
5	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन की राशि	₹1330.46 लाख		₹1275.965 लाख	
6	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	₹1330.46 लाख	प्रशासी विभाग द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक-255, दिनांक: 01.08.2018	₹1275.965 लाख	प्रशासी विभाग द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक-257, दिनांक: 01.08.2018
7	प्रथम पूरक परिमाण विपत्र की राशि (Kota Stone Flooring & Skirting)	₹5,58,169.00	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि ₹3,75,65,593.00 से 1.486% अधिक है।	--	
8	अनुसूचित मदों के अनुमोदन हेतु पूरक परिमाण विपत्र की राशि	₹82,97,621.00	पूरक परिमाण विपत्र की राशि ₹82,97,621.00 (प्रस्तावित) + ₹5,58,169.00 (अनुमोदित प्रथम पूरक	₹51,04,262.00	कुल पूरक परिमाण विपत्र की राशि ₹51,04,262.00 मात्र है, जो मूल अनुमोदित

			परिमाण विपत्र) यानि ₹88,55,790.00 मात्र है, जो मूल अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि ₹3,75,65,593.00 मात्र से 23.57% अधिक है।		परिमाण विपत्र की राशि ₹3,73,76,315.00 मात्र से 13.66% अधिक है।
9	गैर अनुसूचित मदों के लिए परिमाण विपत्र की राशि	₹1,07,06,656.00	निविदा आमंत्रित की गई है।	₹1,07,06,656.00	निविदा आमंत्रित की गई है।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-182। के अनुसार परिमाण विपत्र में सम्मिलित नहीं किये गये कार्य मद को अतिरिक्त मद कहा जाएगा। अतिरिक्त मद के लिए हमेशा पूरक एकरारनामा अपेक्षित होगा और इसका दर प्राथमिक एकरारनामा की दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है, किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा के दर से अधिक नहीं होगी। प्राथमिक एकरारनामा के परिमाण विपत्र मंजूर करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर और परिमाण विपत्र मंजूर किये जायेंगे, लेकिन किसी भी हालत में अतिरिक्त मदों का एकरारनामा प्राथमिक एकरारनामा के 10% (दर-अनुक्रम (मदवार एवं कुल लागत-दोनों) से अधिक नहीं होगा। यदि यह 10% से अधिक हो, तो पदानुक्रम में एक स्तर ऊपर वाला (पदाधिकारी) सक्षम प्राधिकार होगा। यदि यह (दर-अनुक्रम और कुल लागत-दोनों) 20% से अधिक हो जाएगी, तो संशोधन स्वरूप पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0-2106 (S) पटना, दिनांकः 07.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में निम्न प्रावधान के अनुसार विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी:-

उपर्युक्त विभागीय अनुमोदन का तात्पर्य प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन से होगा।

लेकिन निगम निदेशक पर्षद की 32वीं बैठक की कंडिका-32/20 के आलोक में निम्न नियम प्रावधानित है:-

(a) The Board of Directors of the Company be and are hereby accorded their consent to adopt the Rule 182A the 'Bihar Public Works Departhment Code' in the Corporation (BSBCCL) in Toto.

(b) In case of projects overall cost is more than ₹20.00 (Rupees Twenty) Crore, The Board of Directors of the Company (BSBCCL) Shall be the competent authority to approve extra items exceeding (item-wise and overall cost both) more than 20% of that project.

अतएव उपर्युक्त निहित प्रावधान के आलोक में निगम निविदा समिति से सहरसा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य के अतिरिक्त मदों के कुल ₹82,97,621.00 मात्र का द्वितीय पूरक परिमाण विपत्र एवं दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य के अतिरिक्त मदों का कुल ₹51,04,262.00 मात्र का प्रथम पूरक परिमाण विपत्र के अनुमोदन

एवं पूरक एकरारनामा के माध्यम् से कार्य कराने से संबंधित अनुमोदन प्रदान करने हेतु तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है।

8. <u>निगम निविदा समिति का निर्णयः-</u>

उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहरसा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य के अतिरिक्त मदों के कुल ₹82,97,621.00 मात्र का द्वितीय पूरक परिमाण विपत्र एवं दरभंगा जिलान्तर्गत राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह-सह-आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य के अतिरिक्त मदों का कुल ₹51,04,262.00 मात्र का प्रथम पूरक परिमाण विपत्र को अनुमोदित करते हुए एवं पूरक एकरारनामा के माध्यम् से कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

13. निगम निविदा समिति की इस कार्यवाही को निगम बेवसाईट पर डाली जाय।

11-4-19 (रंजित प्र0 सिह) महाप्रबंधक (उत्तर) बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	(तपेश्वर प्र0 साह) महाप्रबंधक (वित्त) बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।	11.04.19 (राकेश कुमार) मुख्य महाप्रबंधक बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।
11/04/19 (सतीश कु0 सिंह) अपर सचिव-सह-आ0 वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, पटना	11/4/2019 (योगेन्द्र सिंह) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना।	11/4/19 (अमित कुमार) प्रबंध निदेशक बि0रा0भ0नि0नि0लि0,पटना।